संख्या: 102/2017/2992/दो-2-2017-4/2(21)/2017

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2017

विषय :- श्री धनन्जय शुक्ल, पी0सी0एस0 की संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पद की वाहय सेवा से संबंधित सेवाशर्ते।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग दो से चार के मूल नियम 110 के अन्तर्गत श्री धनन्जय शुक्ल, पी0सी0एस0 की संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पद पर नियुक्ति के लिए निम्न शर्तों के अधीन वाहय सेवा पर स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उपरोक्त अधिकारी के वेतन तथा भत्तों का सम्पूर्ण खर्च लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा।

2- **वाहय सेवा की अवधि :** वाहय सेवा की अवधि का प्रारम्भ पैतृक विभाग में सरकारी पद के कार्यभार से कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से होगा और समाप्ति पैतृक विभाग में सरकारी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि होगी। वाहय सेवा की अवधि 03 वर्ष से अनधिक होगी।

3- **वेतन :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि में श्री धनन्जय शुक्ल को वही वेतन देय होगा, जो कि अपने पैतृक विभाग में प्राप्त करते। दिनांक 1 मई, 2011 से प्रतिनियुक्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-1-142/दस-2011-204/1999, दिनांक 16 मई, 2011 के अनुसार वाहय सेवा की अवधि में उपरोक्त अधिकारी को यदि वे उसी स्टेशन पर रहते हैं जहॉ उनकी तैनाती थी, तो उसे वेतन का पांच प्रतिशत अधिकतम रू0-1500/- प्रतिमाह तथा स्टेशन से बाहर वाहय सेवा पर तैनाती की स्थिति में मूल वेतन का दस प्रतिशत अधिकतम रू0-3000/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।

4- **मंहगाई भत्ता -** वाहय सेवा की अवधि में श्री धनन्जय शुक्ल को मंहगाई भत्ता राज्य सरकार की दरों पर अनुमन्य होगा जिसका आगणन मूल वेतन पर ही किया जायेगा।

5- **नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता :-** इन भत्तों का विनियन वाहय सेवायोजक के नियमों के अधीन किया जायेगा परन्तु :-

(क) श्री धनन्जय शुक्ल को उ0प्र0 शासन द्वारा आवास आवंटन की दशा में उनके दिनांक 01 अगस्त, 1998 से लागू फ्लैट रेन्ट की दो गुनी दर पर किराया लिया जायेगा जो आवंटी स्वयं प्रतिमाह जमा करेंगे और इस किराये का आधा वह श्री धनन्जय शुक्ल से वहन करेंगे तथा शेष आधा वह अपने वाहय सेवायोजक से प्राप्त करेंगे।

(ख) वाहय सेवायोजक द्वारा श्री धनन्जय शुक्ल को बिना किराये के मकान की सुविधा नहीं दी जायेगी। यदि किन्हीं कारणों से वाहय सेवायोजक श्री धनन्जय शुक्ल को उक्त सुविधा देना चाहते हैं तो वह अपने प्रस्ताव शासन को भेजेगे जिस पर वित्त विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जायेगा।

6- **कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन :-** कार्यभार ग्रहण करने का समय और कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन यदि कोई हो, का विनियमन, वाहय सेवा पर स्थानान्तरण और उसके प्रत्यावर्तन दोनों ही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन किया जायेगा और इसका भुगतान वाहय सेवायोजक द्वारा किया जायेगा।

7- **यात्रा भत्ता :-** वाहय सेवा की अवधि में एक वाहय सेवायोजक के अधीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने तथा उससे प्रत्यावर्तन के समय की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते का विनियमन उनके विकल्प के अनुसार या तो उनके मूल विभाग अथवा वाहय सेवायोजक के नियमों के अधीन होगा और इसका भुगतान वाहय सेवायोजक द्वारा किया जायेगा।

http://shasanadeshup.nic.in

8- **<u>अवकाश और पेंशन:-</u>** वाहय सेवा की अवधि में श्री धनन्जय शुक्ल राज्य सरकार के अवकाश और पेंशन संबंधी नियमों द्वारा ही नियंत्रित होते रहेंगे। वाहय सेवा में अथवा उसके द्वारा हुई विकलांगता के संबंध में वाहय सेवायोजक अवकाश वेतन (न कि अवकाश वेतन अंशदान) के लिए देनदार होगा, चाहे ऐसी विकलांगता का पता वाहय सेवा की समाप्ति के बाद ही क्यों न लगे।

9- **<u>अवकाश वेतन तथा पेंशन संबंधी अंशदान :-</u>**

(क) ऐसे अधिकारियों के संबंध में जिनके वेतन तथा भत्तों के आहरण तथा भुगतान के लिए इरला चेक अनुभाग (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ) के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती है, अवकाश वेतन तथा पेंशन के लिए अंशदानों का भुगतान श्री धनन्जय शुक्ल द्वारा या वाहय सेवायोजक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, वित्तीय नियमावली, खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम (फण्डामेन्टल रूल्स) 115 एवं 116 के अधीन राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। सहायक नियम-185 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होकर वार्षिक होगा। यदि वाहय सेवावधि एक वर्ष से कम हो तो इन अंशदानों का भुगतान वाहय सेवावधि की समाप्ति पर तुरन्त किया जायेगा, जैसा कि वित्त (सामान्य) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-जी-3095/दस-534(38)/22, दि0-13 मई, 1980 के साथ पठित कार्यालय ज्ञाप सं0-जी-1-1460/दस-534(38)/22, दिनांक 30 नवम्बर, 1988 में निर्दिष्ट किया गया है। उपर्युक्त अंशदानों का भुगतान अब अलग-अलग लेखा शीर्षकों में जमा किया जायेगा। यदि इन अंशदानों का भुगतान विलम्बतम 15 अप्रैल तक नहीं किया जाता है तो श्री धनन्जय शुक्ल या वाहय सेवायोजक जैसी भी स्थिति हो को पूर्वोक्त सहायक नियम 185 में निर्धारित दर से देय अंशदानों पर ब्याज भी देना पडेगा। भले ही महालेखाकार, उ0प्र0 ने उन अंशदानों के लिए कोई दावा पेश न किया हो। अत: यह सरकारी सेवक अथवा वाहय सेवायोजक जैसी भी स्थिति हो, के हित में ही होगा कि वह इन आदेशों के मिलते ही महालेखाकार (लेखा-II) उ0प्र0 इलाहाबाद से सम्पर्क स्थापित करें और उनसे इन अंशदानों की दरों और उनके भुगतान की विधि के बारे में पूँछ लें।

यह अंशदान यथास्थिति श्री धनन्जय शुक्ल अथवा वाहय सेवायोजक द्वारा महालेखाकार को बैक डाफट या चेक द्वारा भेजे जाने चाहिए जो कि हर हालत में क्रास कर दिये जाने चाहिए।

(ख) ऐसे सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में जिनके वेतन तथा भत्ता आदि के आहरण तथा भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है -

प्रश्नगत वाहय सेवा की अवधि में श्री धनन्जय शुक्ल के सम्बन्ध में अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान वित्तीय नियमावली, खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 115 व 116 के अधीन राज्यपाल द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा। सहायक नियम 185 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होकर वार्षिक होगा। यदि वाहय सेवावधि एक वर्ष से कम हो तो इन अंशदानों का भुगतान वाहय सेवावधि की समाप्ति पर तुरन्त किया जायेगा। अत: श्री धनन्जय शुक्ल के सम्बन्ध में अवकाश वेतन एवं पेंशनरी अंशदान की दरों एवं भुगतान की विधि के विषय में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से पूँछ लें। उक्त अंशदान की वसूली व लेखे-जोखे के रख-रखाव के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त अंशदानों का भुगतान अब अलग-अलग लेखा शीर्षकों से जमा होगा जैसा कि कार्यालय ज्ञाप, वित्त सामान्य अनुभाग, संख्या-जी-1-1460/दस-534(38)-22, दि0-30.11.1998 में निर्दिष्ट किया गया है। वाहय सेवायोजक अथवा सरकारी सेवक, जैसी भी स्थिति हो, को उक्त अंशदान प्रत्येक वर्ष विलम्बतम 15 अप्रैल तक नाम निर्दिष्ट अधिकारी को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक द्वारा भेज देना चाहिए जो कि हर हालत में क्रास कर देना चाहिए अन्यथा वित्तीय नियमावली, खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-185 में निर्धारित दरों से देय अंशदानों पर ब्याज भी देना होगा। अत: यह श्री धनन्जय शुक्ल अथवा वाहय सेवायोजक, जैसी भी स्थिति हो, के हित में होगा कि इन आदेशों के मिलते ही उक्त अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके इन अंशदानों (दरों और उनकी भुगतान) की विधि के बारे में पूँछ लें।

10- **<u>भविष्य निधि :-</u>** वाहय सेवायोजक को श्री धनन्जय शुक्ल के वेतन से भविष्य निधि का अभिदान काट लेना चाहिए और उसे उनके भविष्य निधि लेखे में जमा कर देना चाहिए। अपनी वाहय सेवा की अवधि में श्री धनन्जय शुक्ल राज्य सरकार के भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

11- **<u>चैकित्सिक सुविधायें :-</u>** वाहय सेवा में रहते हुए श्री धनन्जय शुक्ल को चैकित्सिक उपचार के संबंध में वे विशेष सुविधायें प्राप्त होती रहेगी जो राज्य सरकार के अधीन प्राप्त होने वाली सुविधाओं से किसी प्रकार निम्नतर न होगी। किन्तु श्री धनन्जय शुक्ल को वाहय सेवायोजक द्वारा चैकित्सिक भत्ता देय न होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- **<u>असाधारण पेंशन :-</u>** श्री धनन्जय शुक्ल को अथवा उनके परिवार द्वारा वाह्य सेवा पर रहते हुए उनकी विकलांगता अथवा मृत्यु के संबंध में किया गया कोई दावा उ0प्र0 सिविल सेवायें (असाधारण पेंशन) नियमावली (यू0पी0 सिविल सर्विसेज) (एक्सट्रा आर्डिनरी पेंशन रूल्स) के अनुसार निर्णीत किया जायेगा और पंच निर्णय के पूरे मूल्य का दायित्व वाह्य सेवायोजक का ही होगा।

13- **<u>अवकाश वेतन तथा अवकाश अवधि या अवकाश नगदीकरण में प्रतिकर भत्ता :-</u>** वाह्य सेवा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर श्री धनन्जय शुक्ल द्वारा लिया गया अवकाश अवधि से संबंधित अवकाश वेतन संबंधित श्री धनन्जय शुक्ल के पैतृक विभाग द्वारा देय होगा तथा उस अवधि के प्रतिकर भत्तों का पूरा व्यय वाह्य सेवायोजक द्वारा ही वहन किया जायेगा परन्तु वाह्य सेवा पर रहते हुए मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में श्री धनन्जय शुक्ल के अवकाश खाते में जमा अवकाश के एवज में नियमानुसार अनुमन्य वेतन तथा उस पर प्रतिकर भत्ता का भुगतान श्री धनन्जय शुक्ल के पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा।

14- **<u>सामूहिक बीमा :-</u>** इस योजना के निमित्त वाह्य सेवायोजक द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि में अधिकारी के वेतन से रू0-400 प्रतिमाह की दर से अभिदान की कटौती निरन्तर की जाती रहेगी और उसे लेखा शीर्षक 8011-बीमा पेंशन निधि'0101-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोडकर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि तथा "02-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बचत निधि-0201-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोडकर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत प्राप्ति पक्ष के कोषागार में जमा किया जायेगा। उक्त 400 रूपये की धनराशि में से 280 रूपये बचत निधि में तथा 120 रूपये बीमा निधि में जमा होंगे। यदि शासन समय-समय पर इस दर को संशोधित करता हो तो अधिकारी की समय समय पर संशोधित दरों के अनुसार अभिदान देना होगा। इस प्रकार से जमा की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, पद, विभाग का नाम, ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट संख्या तथा दिनांक और बैंक का नाम/ट्रेजरी का नाम, वाह्य सेवायोजक द्वारा नियुक्ति अनु0-2 को तथा निदेशक, सामूहिक बीमा योजना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को भेजना होगा।

15- **<u>अन्य वित्तीय सुविधायें :-</u>** यदि उपरोक्त अधिकारी को वाह्य सेवायोजक द्वारा उक्त शर्तो के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सुविधा दिया जाना प्रस्तावित हो, तो यह शासन की सहमति के बिना अनुज्ञेय न होगी।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा-।। जी0ई0-1 अनुभाग, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
3. वित्त सामान्य अनुभाग-1
4. श्री धनन्जय शुक्ल, पी0सी0एस0, तत्कालीन संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ सम्प्रति संयुक्त सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।